"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2010—फाल्गुन 21, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री अजय पाल सिंह, भा. प्र. से. (1986) आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एम. एस. पैंकरा, भा.प्र.से. (1991) आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

श्री पैंकरा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत आयुक्त, सरगुजा संभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री अवध बिहारी, भा.प्र.से. (1991) आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, कोष एवं लेखा के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक, मुद्रांक तथा आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

4. श्री मुनीष कुमार त्यागी, भा.प्र.से. (1997) विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री त्यागी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत् संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश के असंवर्गीय पद के प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. सुश्री ओमेगा मुनाईस टोप्पो, भा.प्र.से. (2000) संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, रायपुर संभाग/बस्तर संभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. इनका मुख्यालय रायपुर रहेगा.

सुश्री टोप्पो द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत् अपर आयुक्त, रायपुर संभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

6. श्री एस.एल.रात्रे, भा.प्र.से. (2000) संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

7. श्री रामसिंह ठाकुर, भा.प्र.से. (2000) अपर आयुक्त, रायपुर संभाग/बस्तर संभाग, मुख्यालय रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री ठाकुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत सचिव, राजस्व मण्डल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-02-2010 द्वारा श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से. (1997) विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. साथ ही श्री त्यागी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2010

क्रमांक ई-7/10/2008/1/2.—श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, भा.प्र.से., अनुविभागीय अधिकारी (रा.), द. ब. दन्तेवाड़ा को दिनांक 16-02-2010 से 26-02-2010 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 27, 28 फरवरी, 2010 एवं 01-03-2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अब्दुलहक, आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (रा.), द. ब. दन्तेवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अब्दुलहक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अब्दुलहक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 2-19/2009/1-8.—श्री संजय कुमार अलंग (राप्रसे) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्रमांक 1071/एफ 20-28/2009/19/तक.—राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 7983/2008/19/तक., दिनांक 15-10-2008 में संशोधन करते हुए, नवीन विश्राम भवन, रायपुर के अतिविशिष्ट सूट्स क्रमांक 305, 306 (दो) एवं विशिष्ट कक्ष क्रमांक 405 से 412 (आठ) का आरक्षण करने के लिए मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

2. अतिविशिष्ट सूट्स क्रमांक 301 से 304 (चार) एवं विशिष्ट कक्ष क्रमांक 401 से 404 (चार) का आरक्षण करने के लिए राज्य सत्कार अधिकारी को अधिकृत किया जाता है.

3. कक्ष क्रमांक 201 से 208 (आठ) एवं कक्ष क्रमांक 501 से 509 (नौ) तथा कक्ष क्रमांक 601 से 609 (नौ) इस प्रकार कुल 26 कक्षों का आरक्षण करने के लिए प्रोटोकाल अधिकारी कार्यालय कलेक्टर रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

4. बैठक हॉल एवं कान्फ्रेंस रूम का आरक्षण का अधिकार पूर्ववत् मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा ही किया जायेगा. नवीन विश्राम भवन रायपुर अधिभोग निर्देश 2008 के अनुसार आरक्षण की कार्यवाही की जायें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. सहगल, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 9-1/2010/16.—प्रबंधक, सेंचुरी सीमेंट, बैकुण्ड जिला रायपुर के सेवा विमुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, छत्तीसगढ़ सीमेंट एवं खदान कल्याणकारी श्रमिक संघ ग्राम बहेसर (नेवरा-तिल्दा) जिला रायपुर द्वारा किया जा रहा है एवं प्रबंधक, सेंचुरी सीमेंट बैकुण्ड जिला रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णायार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णायार्थ सौंपता हूं.

संदर्भ की शर्तें

1. सीमेंट कंपनी में सीमेंट वेजबोर्ड का नियम लागू किया जाये, सीमेंट कंपनी में कार्यरत समस्त श्रमिकों को वेजबोर्ड की सुविधा दिया जाए.
2. छुट्टी एलाउन्स, डस्ट एलाउन्स, यात्रा भत्ता, मेडिकल छुट्टी एवं सभी एलाउन्स श्रमिकों को दिया जाना चाहिए.
3. बोनस 20% दिया जाए.
4. छठे वेतनमान का लाभ समस्त श्रमिकों को दिया जाना चाहिए.
5. सीमेंट उद्योगपतियों ने मुनाफा के हिस्से के बगैर श्रमिकों को रुपये 13000/- के दो किस्तों में देना स्वीकार किया था, जिसकी पहली किस्त रुपये 6500/- दिसम्बर, 2008 को दिया जा चुका है. शेष रुपये 6500/- तत्काल दिया जाए. इत्यादि.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 9-1/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव, छत्तीसगढ़ सीमेंट एवं खदान कल्याणकारी श्रमिक संघ, ग्राम-बहेसर (नेवरा-तिल्दा) बिलासपुर एवं नियोजक/प्रबंधक, सेंचुरी सीमेंट, बैकुण्ड जिला रायपुर के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 2/सी.जी.आई.आर./2009

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 9-2/2010/16.—कारखाना प्रबंधक, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) (2) श्री छन्नू यादव, ठेकेदार, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा जिला जांजगीर-चांपा के सेवा विमुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, हसदेव स्पंज आयरन एवं पावर कर्मचारी संघ, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा जिला जांजगीर-चांपा द्वारा किया जा रहा है एवं कारखाना प्रबंधक, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा जिला-जांजगीर-चांपा (2) श्री छन्नू यादव, ठेकेदार, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा जिला जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय श्रम न्यायालय, बिलासपुर को पंच निर्णायार्थ, संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय श्रम न्यायालय, बिलासपुर को पंच निर्णायार्थ सौंपता हूं.

संदर्भ की शर्तें

1. क्या श्री पंकज दुबे का स्थानांतरण प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा जिला जांजगीर-चांपा से रायपुर किया जाना वैध एवं उचित है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 9-2/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव, हसदेव स्पंज आयरन एवं पावर कर्मचारी संघ प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा जिला जांजगीर-चांपा एवं नियोजक कारखाना प्रबंधक, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा जिला जांजगीर-चांपा (2) श्री छन्नू यादव, ठेकेदार, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा, जिला जांजगीर-चांपा के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 2/सी.जी.आई.आर./2009

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-3/2009/16.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त) (1996 का 27) के अधीन पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-1/2006/16, दिनांक 26-05-2009 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना के पैरा 3 में "समस्त श्रम निरीक्षकों" के स्थान पर "समस्त श्रम निरीक्षकों एवं श्रम उप निरीक्षकों" पढ़ा जावे.

No. F 1-3/2009/16.—The State Government amends the para 3 of previously issued notification No. F 10-1/2006/16, dated 26-05-2009 under the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) to the extent that in place of "All Labour Inspectors" "All Labour Inspectors and Labour Sub Inspectors" be read.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2010

क्रमांक एफ 10-1/2010/16.—राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-05-2009 को अधिक्रमित करते हुए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम-2 उपनियम (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा समस्त श्रम निरीक्षकों एवं उप निरीक्षकों को भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) के अंतर्गत उपकर संग्राहक नियुक्त करता है.

2. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम-2 उपनियम (छ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारियों को भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) के अंतर्गत उनकी क्षेत्राधिकारिता के भीतर उपकर निर्धारण अधिकारी नियुक्त करता है.

No. F 10-1/2010/16.—Superseding the same No. of notification dated 26-05-2009 and in exercise of the powers conferred by sub rule (g) of rule 2 of the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Rule, 1998 the State Government appoints all the Labour Inspectors and Labour Sub Inspectors as Cess Collection Officers under Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996.

2. In exercise of the powers conferred by sub rule (h) of rule 2 of the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Rule, 1998 the State Governments appoints all the Assistant Labour Commissioner and Labour Officers as Cass Assessing Officers under Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 in their Jurisdiction.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2010

क्रमांक एफ 10-2/2010/16.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 42 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 40 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम, 2008 में उल्लेखित प्रावधानों के परिपालन हेतु प्रदेश के समस्त कारखाना निरीक्षकों को उनके अधिकारिता क्षेत्र के लिये निरीक्षक घोषित करता है.

No. F 10- 2/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 42 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) the State Government appoints all the Factory Inspectors as Inspectors for enforcement of Section 40 read with Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Rule 2008, in their jurisdiction.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2010

क्रमांक एफ 10-3/2010/16.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 12 (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 272 के तहत हिताधिकारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये समस्त श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करता है.

2. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 12 (5) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 272 के तहत हिताधिकारियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के संबंध में अपील हेतु समस्त सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारियों को उनकी क्षेत्राधिकारिता में अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है.

3. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 12 (3) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम, 272 के तहत हिताधिकारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उल्लेखित शर्तों को पूरा करने वाले कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण हेतु रुपये 10/- (वार्षिक) रजिस्ट्रीकरण शुल्क/नवकरण शुल्क निर्धारित करता है.

No. F 10- 3/2010/16.—In exercise of the powers conferred by section 12 (2) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) the State Government appoints all Labour Inspectors and Labour Sub Inspectors as Authorised Officer for Chhattisgarh State for registration of beneficiaries under rule-272 of Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Rule 2008.

2. In exercise of the powers conferred by section 12 (5) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) the State Government appoints all Asstt. Labour Commissioner and Labour Officers as Appeal Authority in their jurisdiction against the dicisions of Authorised Officer for registration of beneficiaries under rule-272 of Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Rule 2008.

3. In exercise of the powers conferred by section 12 (3) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) the State Government fixed Rs. 10/- as registration/renesal fee (annual) for the workers who fulfill conditions as prescribed for Registration of beneficiaries under rule-272 of Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Rule 2008.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 फरवरी 2010

रा.प्र.क्र. 17/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	पीपरटोला प. ह. नं. 50	1.851	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम (छ. ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक 1148/वाचक-1/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	रतिया प. ह. नं. 22	0.415	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	रतिया व्यपवर्तन योजना के नहर क्षेत्र निर्माण में आनी वाली भूमि का पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र./1319/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बरछाटोला प. ह. नं. 38	0.315	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	खातूटोला बैराज के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र./1320/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	भांठाबम्हनी प. ह. नं. 13	183.99 वर्गमीटर पर स्थित दो मकान	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखा नाला बैराज सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डुबान में प्रभावित मकान (आंशिक)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमलसिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्रमांक 01/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	चिल्हाटी	3.686	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सेमराडीह जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्रमांक 20/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सकरी	0.028	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक-1, बिलासपुर.	सकरी से पेण्ड्रीडीह बायपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक 61/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	मल्हार	0.188	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लीलागर नदी एनीकट के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व) बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 2 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-पतराटोली, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.819 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/45	0.012
	1/41	0.113
	1/16 क	0.344
	1/21	0.008
	1/22	0.065
	1/17	0.619
	1/16 ख	0.344
	1/20	0.313
योग	8	1.819

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय के स्पील चैनल नहर निर्माण का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 2 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-पतराटोली, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.555 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	69	0.057
	71/4	0.044
	71/5	0.041
	71/8	0.021
	71/7	0.054
	71/9	0.076
	71/12	0.095
	83/1	0.045
	73/1	0.029
	78	0.093
योग	10	0.555

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय के स्पील चैनल नहर निर्माण का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम दिनांक 2 फरवरी 2010

रा.प्र.क्र. 03 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-कबीरधाम
  (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
  (ग) नगर/ग्राम-टाटावाही, प. ह. नं. 44
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.964 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	74/1	0.095
	74/2	0.153
	73	0.095
	75/6	0.059
	75/4	0.060
	66/8	0.020
	66/1	0.096
	66/6	0.056
	66/2	0.056
	66/5	0.056
	66/27	0.056
	66/9	0.056
	63/16	0.106
योग	13	0.964

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करांनाला बैराज परियोजना अंतर्गत नूनछापर वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 2 फरवरी 2010

रा.प्र.क्र. 16 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-कबीरधाम
  (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
  (ग) नगर/ग्राम-कटंगीखुर्द, प. ह. नं. 45
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.437 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	20/1	0.720
	25	0.420
	26	0.300
	49/10	0.073
	39/3, 41/2, 43/1, 44/2, 49/2	0.209
	39/4, 42/4	0.040
	28/2, 29/1 ख, 30/2, 31, 32	0.675
योग	7	2.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटंगीखुर्द से नया जुनवानी तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 2 फरवरी 2010

रा.प्र.क्र. 17 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का व[illegible]-

(क) [illegible]-कबीरधाम

(ख) [illegible]सील-सहसपुर लोहारा

(ग) [illegible]/ग्राम-भनसुला प. ह. नं. 45

(घ) [illegible]भग क्षेत्रफल-6.257 हेक्टेयर

खसरा [illegible]	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27, 28/1	0.603
33	5.654
योग	6.257

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -ग्राम भनसुला के पुनर्वास हे[illegible]

(3) भूमि के नक्शे ([illegible]लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्याय[illegible] में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधा[illegible] दिनांक 2 फरवरी 2010

रा.प्र.क्र. 19 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-सहसपुर लोहारा

(ग) नगर/ग्राम-भनसुला, प. ह. नं. 45

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.320 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/2	1.020
27, 28/1	0.300
योग	1.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटंगीखुर्द से नया जुनवानी तक पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 3 फरवरी 2010

रा.प्र.क्र. 04 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-सहसपुर लोहारा

(ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्रीतराई, प. ह. नं. 56

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.597 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
204/1	0.085
208/2	0.085
208/9	0.085
211/1	0.015
214/2	0.169
213/1	0.158
योग	0.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कर्रानाला बैराज परियोजना के अन्तर्गत दुल्लापुर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय संस्थागत वित्त, मंत्रालय परिसर, रायपुर

क्रमांक/117-A/संसंवि/लेखा/2010 रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2010

राज्य के कृषकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान नियम-2009

प्रस्तावना :—

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ग्रामीण आधार होने से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण का प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अधिक होता है. कृषि ऋणों पर किसानों को अधिक ब्याज दर का भुगतान करना पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के कृषकों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी बैंकों के समान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सम्बद्ध कृषकों को भी वर्ष 2009-10 से 3% की ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. उक्त आशय से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के बजट 2009-10 में प्रावधान किये गये हैं. इसके क्रियान्वयन के लिये, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की स्वीकृति क्रमांक UNo.11/F-1-04/2010/स्था/चार, रायपुर, दिनांक 30-01-2010 के पश्चात् निम्नानुसार नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :—**

(एक) यह नियम "कृषकों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2009" कहलाएगा.

(दो) यह नियम 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावशील होगा.

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा.

2. **परिभाषाएं :—**

(एक) **कृषक :—** "कृषक" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो.

(दो) **बैंक :—** "बैंक" का अभिप्राय प्रदेश स्थित छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दुर्ग-राजनांदगांव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है.

(तीन) शाखा का अभिप्राय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रदेश स्थित शाखाओं से है.

(चार) **ऋण :—** "ऋण" का अभिप्राय कृषक सदस्यों को नियम 2 (दो) में वर्णित बैंक एवं नियम 2 (तीन) में वर्णित शाखाओं द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋण से है.

(पांच) **कृषि प्रयोजन :—** "कृषि प्रयोजन" का अभिप्राय कृषि एवं कृषि सम्बद्ध प्रयोजनों सम्बन्धी उन सभी कार्यों से है, जिनके लिये शाखा/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है एवं जिसमें सामान्य कृषि कार्य के लिये वितरित ऋण, अन्य कृषि आदान एवं उपकरण, सिंचाई साधन, कृषि एवं कृषि सम्बद्ध उत्पादनों के विपणन एवं पशु पालन, मत्स्य पालन व उद्यानिकी सम्मिलित है,

परन्तु इसमें आवास निर्माण हेतु ऋण, ट्रैक्टर, स्वचालित थ्रेसर, स्वचालित हार्वेस्टर एवं अन्य ऐसे स्वचालित उपकरण/वाहन जिनका पृथक से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाता है, के लिये लिया गया ऋण सम्मिलित नहीं होंगे.

(छः) **सक्षम अधिकारी :—** "सक्षम अधिकारी" का अभिप्राय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष से है अथवा ऐसा कोई अधिका जो नियम 2 (दो) में वर्णित बैंक एवं नियम 2 (तीन) में वर्णित शाखा के लिये सक्षम अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर के लिये सक्षम हो.

(सात) **प्राईम लेंडिंग रेट :—** "प्राईम लेंडिंग रेट" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक के संचालक मण्डल द्वारा समय-समय पर कृषि ऋणों पर प्रयोजनवार निर्धारित किये जाने वाले न्यूनतम ब्याज दरों से है.

3. **पात्रता :—**

(एक) ब्याज अनुदान की पात्रता केवल लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को अल्पकालिक कृषि ऋण पर ही पात्रता होगी.

(दो) ब्याज अनुदान की पात्रता नियम 2 (दो) में वर्णित बैंकों एवं नियम 2 (तीन) में वर्णित शाखाओं को होगी.

(तीन) ब्याज अनुदान की पात्रता उस ऋण पर होगी जो नियम 2 (पांच) में वर्णित कृषि प्रयोजनों के लिये वर्ष 2009-10 में 3% वार्षिक ब्याज दर में दिये गये हो, जिस पर वित्तपोषक बैंक को लागत 3% से अधिक आई हो.

(चार) बैंक के संचालक मण्डल द्वारा कृषि ऋणों पर ब्याज दरों में परिवर्तन किये जाने पर ब्याज दर का पुनः निर्धारण किया जावेगा.

(पांच) बैंक का प्राईम लेंडिंग रेट की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत किया जावेगा.

(छः) बैंक की प्राईम लेंडिंग रेट में परिवर्तन होने पर ब्याज दर का पुनः निर्धारण किया जावेगा.

4. **ब्याज अनुदान का आंकलन :—** बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं संचालक मंडल द्वारा बैंक एवं संस्था के लिये निर्धारित मार्जिन के आधार पर कृषक स्तर पर ब्याज दरों का निर्धारण करने के फलस्वरूप ब्याज दर वर्ष 2009-10 में 3 प्रतिशत वार्षिक से अधिक होने पर अंतर की राशि की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में की जावेगी.

ब्याज अनुदान आंकलन का सूत्र निम्नानुसार होगा :—
वर्ष 2009-10 (01-04-2009 से)

क्र.	विवरण	जोड़े या घटावें	ब्याज दर
1.	नियम 2 (पांच) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये कृषक को उपलब्ध करायी गयी कृषि ऋण सुविधा पर लागू ब्याज दर		
2.	अ केन्द्र शासन अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त ब्याज अनुदान दर ब कृषक से सीधे वसूल की गई 3 प्रतिशत की ब्याज दर		
3.	राज्य शासन से प्रतिपूर्ति की जाने वाली ब्याज अनुदान दर		

अर्थात्

1-(2 अ + 2 ब) = 3

(कृपया संलग्न परिशिष्ट का अवलोकन करें)

5. **आहरण एवं भुगतान प्रक्रिया :—**

(एक) ब्याज अनुदान का आंकलन कर क्लेम प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

शाखा के लिये :— शाखा द्वारा इस नियम की कण्डिका क्रमांक 3 की पात्रता अनुसार एवं कण्डिका क्रमांक 4 के अनुसार ब्याज अनुदान का आंकलन कर निर्धारित प्रपत्र में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किये जावेंगे. क्षेत्रीय कार्यालय, शाखाओं से प्राप्त क्लेम की समेकित जानकारी बैंक की प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे.

(दो) इस नियम के प्रभावशील होने के वर्ष में, राज्य शासन की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो ब्याज अनुदान दिया जाना है, वह वर्ष के प्रारम्भ से ही वित्त विभाग द्वारा संस्थागत वित्त संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रधान कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा. यह अनुदान गत वर्षों की ऋण स्वीकृति के आधार पर गणना की जाकर उपलब्ध कराया जायेगा.

ग्रामीण बैंक की शाखाओं द्वारा प्रत्येक छ:माही अर्थात् 30 सितम्बर और 31 मार्च की तिथि पर निर्धारित प्रपत्र में क्लेम की जानकारी प्रस्तुत की जावेगी.

(तीन) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ब्याज अनुदान की क्लेम की गई अग्रिम राशि में से प्रत्येक छ:माही में शाखाओं से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वास्तविक क्लेम का समायोजन किया जायेगा एवं अंतर की राशि हेतु पुन: क्लेम करने अथवा वापसी योग्य राशि का आगामी छ:माही में समायोजन किया जा सकेगा.

(चार) इस नियम की अवहेलना पाये जाने पर ब्याज अनुदान रोकने/स्थगित करने का अधिकार संस्थागत वित्त संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन को होगा.

(पांच) ब्याज अनुदान के लिये आवश्यक बजट प्रावधान संस्थागत वित्त संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जायेगा.

6. **उपयोगिता प्रमाण-पत्र :—** ब्याज अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं अंकेक्षक द्वारा प्रमाणित कराकर वास्तविक क्लेम का प्रतिवेदन संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़ शासन को प्रस्तुत किया जावेगा.

7. **विविध :—**

(एक) राज्य शासन/संस्थागत वित्त संचालनालय को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिये आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा.

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा.

अमिताभ खण्डेलवाल,
संचालक.

परिशिष्ट

"A" केन्द्र शासन से ब्याज अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में :—

(100 रु. पर)

क्र.		विवरण	जोड़े या घटावें	ब्याज दर	ब्याज राशि
1.		नियम 2 (पांच) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये कृषक को उपलब्ध करायी गयी कृषि ऋण सुविधा पर लागू ब्याज दर		9 प्रतिशत	9.00
2.	अ	केन्द्र शासन अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त ब्याज अनुदान दर		2 प्रतिशत	2.00
	ब	कृषक से सीधे वसूल की गई 3 प्रतिशत की ब्याज दर		3 प्रतिशत	3.00
		योग (2 अ + 2 ब)		**5 प्रतिशत**	**5.00**
3.		राज्य शासन से प्रतिपूर्ति की जाने वाली ब्याज अनुदान दर		4 प्रतिशत	4.00
		अर्थात् 1-(2 अ + 2 ब) = 3			

"B" केन्द्र शासन से ब्याज अनुदान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में :—

(100 रु. पर)

क्र.		विवरण	जोड़े या घटावें	ब्याज दर	ब्याज राशि
1.		नियम 2 (पांच) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये कृषक को उपलब्ध करायी गयी कृषि ऋण सुविधा पर लागू ब्याज दर		9 प्रतिशत	9.00
2.	अ	केन्द्र शासन अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त ब्याज अनुदान दर		निरंक	निरंक
	ब	कृषक से सीधे वसूल की गई 3 प्रतिशत की ब्याज दर		3 प्रतिशत	3.00
		योग (2 अ + 2 ब)		**3 प्रतिशत**	**3.00**
3.		राज्य शासन से प्रतिपूर्ति की जाने वाली ब्याज अनुदान दर		6 प्रतिशत	6.00
		अर्थात् 1-(2 अ + 2 ब) = 3			